



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 838

**15 Kartik, 1938 (S)
Ranchi, Monday, 6th November, 2017**

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

6th November, 2017

S.O. No. 119- Dated- 6th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 54 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, read with sub-rule (5) of rule 96A of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, and in supersession of Notification No. S.O. 118 State Tax, dated 6 November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand ,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of Jharkhand hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond by a registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax -

(i) all registered persons who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except those who have been prosecuted for any offence under the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;

(ii) the Letter of Undertaking shall be furnished on the letterhead of the registered person, in duplicate, for a financial year in the annexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director

or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor;

(iii) where the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) or clause (b) of the said sub-rule, the facility of export without payment of integrated tax will be deemed to have been withdrawn and if the amount mentioned in the said sub-rule is paid, the facility of export without payment of integrated tax shall be restored.

2. The provisions of this notification shall *mutatis mutandis* apply in respect of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person (including a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit) to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.

3. This notification shall be deemed to be effective from 4th October, 2017.

[File.NoVaKar / GST / 04/ 2017]

By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2017

एस० ओ०- 119 दिनांक- 6 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड के राजपत्र, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० एस० ओ० 118 राज्यकर, तारीख 6 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है—

- (i) ऐसे मामलो में, जहां अपवंचित कर की रकम दौ सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, तथा जिन्हें झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;
- (ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;
- (iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट देय कर और ब्याज का भुगतान उक्त उपनियम के उपवाक्य (क) अथवा (ख) में उल्लिखित अवधि में जमा नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह वापस ले ली गई है और यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह बहाल हो जाएगी ।

2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे ।
3. यह अधिसूचना 4 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
